प्राइवेट कंपनी में फण्ड जुटाने के तरीके, कम्पनीज एक्ट 2013 के प्रावधानों के अनुसार

चुका कम्पनाज एक्ट 2013 जब से आया है एक कंपनी को फण्ड रेज करने के ऊपर बहुत सारे कंडीशन लग गया है। जैसे कंपनी प्राइवट या पाब्लक निम्न के अलावा किसी से लोन नही ले सकती है:-

(a) अपने डायरक्टर से (लेकिन डायरक्टर लोन लेकर कंपनी को लोन नही दे सकती है)

(b) किसी ऐसे कंपनी से जहाँ कॉमन डायरक्टर ना हो

(c) किसी बंक या फाइनांसियल Institutions से

यदि कंपनी उपरोक्त के अलावा किसी से लोन लेती है तो इसे पाब्लिक deposit माना जायेगा, इस तरीके से फण्ड रेज करने का दायरा बहुत ही सीमित कर दिया गया है,पहले प्राइवट लिमिटड कंपनी अपने किसी रिलेटिव से, अपने शेयर होल्डर से अपने किसी ग्रुप कंपनी से लोन लेकर फण्ड रेज कर लेती थी लेकिन अब फण्ड रेज करने का ये सब तरीका समाप्त हो गया है कंपनी एक्ट के नए प्रावधानों के अनुसार.

निम्न ऐसे कुछ तरीके है जो कंपनी एक्ट के नए प्रावधानों का पालन करते हुए कम्पनी फण्ड रेज कर सकती है :-

(1) कंपनी अपने डायरक्टर से लोन ले तो सकती है लेकिन कंडीशन ये है की डायरक्टर लोन ले कर लोन नही दे सकती है, ऐसे स्थिति में अब यदि डायरक्टर के पास भी फण्ड न हो तो ऐसे में डायरक्टर के पास एक विकल्प यही है की डायरक्टर अपने किसी रिलेटिव से गिफ्ट लेकर कंपनी को लोन दे।

As per Rule 2(C) any amount received from a person who, at the time of the receipt of the amount, was a director of the company. The director from whom money is received, furnishes to the company at the time of giving the money, a declaration in writing to the effect that the amount is not being given out of funds acquired by him by borrowing or accepting loans or deposits from others;

(2) कंपनी किसी ऐसे कंपनी से लोन ले सकती है जो कॉमन डायरक्टर वाली कंपनी नही है।

(3) कंपनी किसी बंक या फाइनांसियल Institutions से लोन ले सकती है।

(4) कंपनी अपने किसी Customer से एडवांस ले सकती है लेकिन कंडीशन ये है की ये एडवांसेज 365 दिन से अधिक दिनों तक का न हो नही तो इसे पाब्लिक डिपाजिट माना जायेगा, in other words कंपनी यदि किसी Customer से एडवांस ली है तो इसे 365 दिन से पहले समाप्त करना होगा या तो goods सप्लाइ करके या एडवांसेज का मनी वापस करके।

(5) शेयर इशू करके कंपनी फण्ड रेज कर सकती है, कंपनी शेयर निम्न दो तरीके से इशू कर सकती है:-

a. अपने existing शेयर होल्डर को right शेयर इशू करके या

b. प्राइवट प्लेसमेंट के Through शेयर इशू करके

प्राइवट प्लेसमेंट के procedures के बारे में हम अपने पहले आर्टिकल में जिक्र कर चुके है, यहाँ हम Right शेयर इशू के procedure के बारे में समझेंगे।

एक कंपनी अपने existing शेयर होल्डर को बिना प्राइवट प्लेसमेंट के procedure को फॉलो किये ही धारा 62 में बताये गए प्रावधानों का पालन करके Right शेयर इशू कर सकती है।

Procedures for issue of Right Shares

(a) Board Meeting :-

बाड मीटिंग बुलाने के लिय कम से कम 7 दिन पहले नोटिस इशू करना होगा

बाड मीटिंग म ऑफर लैटर को approve किया जायेगा, ऑफर लैटर म Renunciation right भी शामिल होगा

इशू के आपानग होने से कम से कम 3 दिन पहले सभी existing शेयर होल्डस को ऑफर लैटर भेजा जायेगा और यह ऑफर लैटर Email/ Registered Post या Speed Post से भेजना होगा

सभी शेयर होल्डस से Right शेयर के सम्बन्ध म Acceptance/ Rejection या Renunciation प्राप्त किया जायेगा

(b) Board Meeting :-

पुनः बाड मीटिंग बुलाया जायेगा इस के लिय फिर से 7 दिन पहले नोटिस दिया जायेगा

बाड मीटिंग म शेयर के allotment और इशू को approve किया जायेगा

शेयर अलोट होने के 30 दिन म PAS-3 ROC म फाइल करना होगा

शेयर इशू के Resolution पास होने के 30 दिन म MGT-14 ROC म फाइल करने होगा

Major points to be consider at the time Issue of Right Shares

Right शेयर existing शेयर होल्डस को उनके शेयर के proportion म दिया जायेगा

Right शेयर के ऑफर को Renounce/ Accept या रिजक्ट करने के लिय कम से कम 15 दिन का समय दिया जायेगा

Right शेयर के लिय धारा 42 के प्रावधानो का पालन करना अवश्यक नही है जैसे एप्लीकेशन मनी को सेपरेट बक अकाउंट म रखना, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के 60 दिन के अन्दर शेयर अलोट करना

Curtesy : Taxguru